सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023/428

दर्ज तिथिः—07.07.2023

वादी		प्रतिवादी
भगाराम पुत्र जगमालराम	बनाम	सरकार
जरिये अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई		जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई श्री नारायण कुमावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—144
सिविल प्रक्रिया संहिता—1908
निर्णय तिथिः—29.09.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—144 के अन्तर्गत बाबत निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—144 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः—

   - कि वादी द्वारा हाजा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र संख्या 245/2003 बउनवान नारणाराम बनाम सरकार बाबत तरमीम दुरूस्ती प्रस्तुत किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 28.07.2004 को निर्णय करते हुए आदेश जारी किये।
   - तत्पश्चात हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 245/2003 बउनवान नारणाराम बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 28.07.2004 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर में अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील संख्या 12/2005 में माननीय न्यायालय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा बाद परीक्षण निर्णय दिनांक 14.06.2010 के द्वारा हाजा न्यायालय के उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 245/2003 बउनवान नारणाराम बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 28.07.2004 को निरस्त कर पत्रावली को हाजा न्यायालय को हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया।
   - कि अप्रार्थी संख्या 2—6 द्वारा अपील संख्या 12/2005 में माननीय न्यायालय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा बाद परीक्षण निर्णय दिनांक 14.06.2010 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील 3687/2010 में की गई। उक्त द्वितीय अपील 3687/2010 बउनवान नारणाराम बनाम भगाराम मे निर्णय दिनांक 29.09.2022 मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपील संख्या 12/2005 में माननीय न्यायालय न्यायालय राजस्व अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 17:38:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी द्वारा बाद परीक्षण निर्णय दिनांक 14.06.2010 को यथावत रखा।

- इस दौरान अप्रार्थी ने हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 245/2003 बउनवान नारणाराम बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 28.07.2004 के आधार पर नामांतकरण संख्या 81 व 82 मौजा अणखियां तहसील नौखडा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा लिया।
- इस प्रकार हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 245/2003 बउनवान नारणाराम बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 28.07.2004 को विधिसम्मत नहीं होकर अपीलीय न्यायालय से खारिज घोषित होने के पश्चात अप्रार्थी ने हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 245/2003 बउनवान नारणाराम बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 28.07.2004 के आधार पर नामांतकरण संख्या 81 व 82 मौजा अणखियां तहसील नौखडा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हुई है। सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के अन्तर्गत किसी न्यायालय के आदेश के निरस्त होने की स्थिति में निरस्त आदेश की पालना से किसी पक्षकार को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति निरस्त आदेश की पालना से पूर्व की स्थिति बहाल करने के प्रावधान हैं। प्रार्थी का प्रकरण इसी श्रेणी में आता है।
- अतः हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 की पालना में प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये संशोधन को निरस्त करते हुए दिनांक 28.07.2004 से पूर्व की स्थिति बहाल कर राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व स्थिति किये जाने का निवेदन है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल उपस्थित न्यायालय होते हुए सीधे बहस का निवेदन किया। प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि हाजा न्यायलय के आदेश दिनांक 28.07.2004 के निर्णय के निरस्त होने एवं निरस्त आदेश के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किय गये परिवर्तन के निरस्तनीय होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए स्थिति बहाल की जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र वर्तमान में हाजा कार्यालय पर विचाराधीन होने के कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र पर पृथक से निर्णय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 से पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बहाल हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के प्रावधान का [illegible] में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested

144. Application for restitution. *— (1) Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in any appeal, revision or other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose, the Court which passed the decree or order shall, on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be, place the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied, reversed, set*

aside or modified; and for this purpose, the Court may make any orders, including orders for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits, which are properly consequential on such variation, reversal, setting aside or modification of the decree or order.

Explanation.—*For the purposes of sub-section (1), the expression "Court which passed the decree or order" shall be deemed to include,—*

(a) where the decree or order has been varied or reversed in exercise of appellate or revisional jurisdiction, the Court of first instance;

(b) where the decree or order has been set aside by a separate suit, the court of first instance which passed such decree or order.

(c) where the Court of first instance has ceased to exist or has ceased to have jurisdiction to execute, it, the Court which, if the suit wherein the decree or order was passed were instituted at the time of making the application for restitution under this section, would have jurisdiction to try such suit.

(2) No suit shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or other relief which could be obtained by application under sub-section (1).

4. उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिये गये आदेशों की पालना में किसी एक पक्षकार के लाभकारी अवस्थिति तथा किसी दूसरे पक्षकार के अलाभकारी अवस्थिति में प्रतिस्थापित होने की दशा में न्यायालय के उक्त आदेश के अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त, संशोधित, परिवर्धित व प्रतिफलित किये जाने की दशा में प्रथम न्यायालय को पक्षकारों को पुनः समान स्थिति में प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रावधान बनाये गये हैं। उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है।

सत्यमेव जयते

5. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु हाजा न्यायालय के आदेश एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश की तुलना निम्न प्रकार है:–

प्रथम न्यायालय का आदेश	अपील / निगरानी का आदेश
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 146 / 19 बीघा मे से सडक के उत्तर की तरफ 18–14 बीघा भूमि का खसरा संख्या 146 यथावत रखते हुए सडक के दक्षिणी तरफ 6 बिस्वा भूमि का पृथक खसरा संख्या 146 / 2 कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है।	अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2004 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 146 व 413 आराजी के नक्शे का साथ–साथ सीमांकन करते हुए .... होने पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त तुलना से स्पष्ट है कि हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रकरण में हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 की पालना के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में नामांतकरण संख्या 81 व 82 मौजा अणखियां तहसील नौखडा द्वारा हुए परिवर्तित इन्द्राज से मूल खसरा 146 व 146 / 2 का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से इन्द्राज किया गया है। चूंकि हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.

2004 को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उस स्थिति में निरस्त हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 के द्वारा वादी व प्रतिवादी को प्राप्त लाभ व नुकसान प्रदान करने वाले कार्य का कारण पक्षकारों के द्वारा किये गये कार्य ना होकर न्यायालय द्वारा किया गया आदेश है। उक्त निरस्त हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 के द्वारा वादी व प्रतिवादी को प्राप्त लाभ व नुकसान को समाप्त कर सभी पक्षकारों को पुनः मूल स्थिति में बहाल किया जाना उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने से पूर्व आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निरस्त हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 के द्वारा वादी व प्रतिवादी को प्राप्त लाभ व नुकसान को समाप्त कर सभी पक्षकारों को पुनः मूल स्थिति में बहाल की जानी है। चूंकि निरस्त हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 के द्वारा वादी व प्रतिवादी को प्राप्त लाभ व नुकसान को समाप्त कर सभी पक्षकारों को पुनः मूल स्थिति में बहाल किये जाने का आदेश हाजा न्यायालय का है एवं वर्तमान में उक्त आराजी का क्षैत्राधिकार भी हाजा न्यायालय का है। अतः इस स्थिति में निरस्त हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 के द्वारा वादी व प्रतिवादी को प्राप्त लाभ व नुकसान को समाप्त कर सभी पक्षकारों को पुनः मूल स्थिति में बहाल करने के आदेश देने एवं क्रियान्विति करने की जिम्मेदारी भी हाजा न्यायालय की है। अतः

आदेश है कि

वादी का उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—144 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी के राजस्व इन्द्राज की दिनांक 28.07.2004 के आदेश की पालना में दर्ज नामांतकरण संख्या 81 व 82 मौजा अणखियां तहसील नौखडा से पूर्व की स्थिति के राजस्व इन्द्राज बहाल करने के आदेश दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested